सत्यमेव जयते

उप-क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

5, आर. के. प्लाजा, भूपालपुरा, शास्त्री सर्कल, उदयपुर

फोन : 0294-2418806, 0294-3500398,0294-3500399 ई-मेल : sro-udaipur@esic.gov.in

क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.

कुल अंशदान 4% निर्धारित है जिसमें नियोजक अशंदान अब 3.25% व कर्मचारी अशंदान 0.75% है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत देय हितलाभ

क्रम संख्या	हितलाभ	हितलाभ व उनकी अंशदायी शर्तें	अवधि तथा हितलाभों की दरें
1.	(क) बीमारी हितलाभ	संबंधित अंशदान अवधि में कम से कम 78 दिनों का अंशदान अदा किया हो।	लगातार दो हितलाभ अवधि में 91 दिनों तक औसत दैनिक मजदूरी का 70 प्रतिशत ।
	(ख) वर्धित बीमारी हितलाभ	संबंधित अंशदान अवधि में कम - से - कम 78 दिनों का अंशदान अदा किया हो।	पुरूष नसबन्दी हेतु बीमाकृत व्यक्ति के लिए 7 दिन तथा महिला नसबन्दी के लिए बीमाकृत महिला के लिए 14 दिन, चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। भुगतान की दर - औसत दैनिक मजदूरी का 100 प्रतिशत।
	(ग) विस्तारित बीमारी हितलाभ	34 विनिर्दिष्ट दीर्घकालीन बीमारियों के लिए दो वर्ष की अवधि का लगातार रोजगार तथा चार लगातार अंशदान अवधियों में 156 दिन का अंशदान	124/309 दिनों तक वर्णित दीर्घकालिक रोग होने की स्थिति में जिसे चिकित्सकीय सलाह पर 2 वर्ष (730 दिन) तक बढ़ाया जा सकता है। दर - औसत दैनिक मजदूरी का 80 प्रतिशत।
2.	निः शक्तता हितलाभ (क) अस्थायी अपंगता हितलाभ	बीमा योग्य रोजगार में प्रवेश के पहले दिन से, भले ही अंशदान अदा न भी किया गया हो।	नि : शक्तता (दुर्घटना के दिन को छोड़कर) 3 दिन से कम समय में ठीक हो जाने पर, हितलाभ देय नहीं है। अन्यथा अस्थायी अपंगता समाप्त होने तक की पूर्ण अवधि के लिए देय। दर - औसत दैनिक मजदूरी का 90 प्रतिशत।
	(ख) स्थायी अपंगता हितलाभ	बीमा योग्य रोजगार में प्रवेश के पहले दिन से, भले ही अंशदान अदा न भी किया गया हो।	जीवनपर्यन्त, दर - कामगार की चिकित्सा बोर्ड द्वारा निर्धारित अर्जन क्षमता की हानि के समानुपात एकमुश्त परिवर्तनीय - यदि दैनिक दर हितलाभ रूपये 10/- तक अथवा परिवर्तित राशि रूपये 60,000/- से अधिक नहीं है।
3.	आश्रितजन हितलाभ	रोजगार चोट के कारण मृत्यु होने पर बीमा योग्य नियोजन में प्रवेश की तारीख से, भले ही कोई अंशदान अदा न किया हो।	बीमित की पत्नी को जीवनपर्यन्त या पुनर्विवाह तक तथा प्रत्येक वैध या दत्तक पुत्र को 25 वर्ष की आयु तक एवं प्रत्येक वैध या दत्तक अविवाहित पुत्री को उसका विवाह होने तक। अशक्त बच्चे को अशक्तता बने रहने तक। आश्रित माता - पिता को जीवन पर्यन्त। दर - औसत दैनिक मजदूरी का 90 प्रतिशत जो कि निर्धारित अनुपात में विभक्त किया जाएगा। न्यूनतम पेन्शन रूपये 1200/- प्रतिमाह।
4.	आश्रितजन हितलाभ प्राप्त करने पर महिला (पत्नी) की चिकित्सा देखरेख	आश्रितजन हितलाभ प्राप्त करने वाली विधवा महिला को।	वार्षिक आधार पर आश्रितजन हितलाभ प्राप्त करने पर दिवंगत बीमाकृत व्यक्ति की पत्नी को रूपये 120/- के वार्षिक भुगतान पर क.रा.बी. चिकित्सा संस्थानों में प्राथमिक एवं द्वितीयक देखरेख (अतिविशिष्टता उपचार को छोड़कर)
5.	प्रसूति हितलाभ	दो लगातार पूर्ववर्ती अंशदान अवधि में 70 दिन के लिए अंशदान की अदायगी	प्रथम दो प्रसवों के लिए 26 सप्ताह, तीसरे जीवित बच्चे और आगे के लिए 12 सप्ताह। गर्भपात के लिए 6 सप्ताह कमिशनिंग माता के लिए 12

6.	प्रसूति व्यय	जहां क.रा.बी. योजना के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वहां बीमाकृत महिला अथवा बीमाकृत व्यक्ति की पत्नी के संबंध में प्रसूति व्यय का भुगतान किया जाएगा।	दो प्रसूतियों तक। दर - रूपये 7500/- प्रति प्रसव
7.	चिकित्सा हितलाभ	बीमाकृत व्यक्ति तथा उसके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा देख - रेख की पूरी सुविधाएं बीमा योग्य नियोजन में प्रवेश की तारीख से ही है।	बीमारी या अपंगता समाप्त होने तक पूर्ण चिकित्सा देख - रेख विशेषज्ञ मामले में खर्च की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। सेवानिवृत्त बीमाकृत व्यक्ति जो अधिवर्षिता की आयु पूरी करने से पहले कम से कम पांच वर्ष के लिए बीमा योग्य नियोजन में रहा हो तथा अपंग बीमाकृत व्यक्ति स्वंय तथा अपनी पत्नी के लिए केवल 120/- रूपये वार्षिक अंशदान पर चिकित्सा देख - रेख का हकदार है। प्राथमिक एवं द्वितीयक देखरेख (अतिविशिष्टता उपचार को छोड़कर)
8.	राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता	प्रत्येक अंशदान अवधि में प्रदत्त/देय 78 दिनों के अंशदान के साथ अंतिम 2 वर्षो के लिए बीमा योग्य रोजगार। कारखाने/स्थापना के बंद होने, छंटनी या 40 प्रतिशत से अधिक गैर - रोजगार चोट के कारण हुई स्थायी निःशक्तता की अनैच्छिक बेरोजगारी।	पूर्ण बीमा योग्य रोजगार के दौरान 24 माह की अधिकतम अवधि के लिए। दर :- 0-12 माह के लिए अंतिम औसत दैनिक मजदूरी का 50 प्रतिशत। 13 - 24 माह के लिए अंतिम औसत दैनिक मजदूरी का 25 प्रतिशत। कौशल उन्नयन हेतु 1 वर्ष तक का व्यावसायिक प्रशिक्षण।
9.	अंत्येष्टि व्यय	बीमा योग्य नियोजन में प्रवेश की तारीख से।	बीमाकृत व्यक्ति की अंत्येष्टि पर हुआ रूपये 15,000/- तक का व्यय।
10.	नियम 60 के अन्तर्गत व्यावसायिक पुनर्वास भत्ता	आयु 45 वर्ष से अधिक न हो तथा रोजगार चोट की वजह से न्यूनतम 40 प्रतिशत निःशक्तता रखता हो।	व्यावसायिक पुनर्वास केन्द / संस्थान के प्रतिमानों के अनुरूप सरकार द्वारा मान्य प्राप्त संस्थान में किसी भी क्षेत्र में प्रशिक्षण सामान्य दरों पर वाहन खर्च केन्द्र द्वारा प्रमाणित व्यय या रूपये 123/-प्रतिदिन, जो भी अधिक हो।
11.	निःशक्त व्यक्तियों के नियोजन के लिए नियोक्ताओं की प्रोत्साहन योजना	मजदूर की वेतन सीमा रूपए 25,000 तक पाने वाले निःशक्त व्यक्तियों के रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिये उनके प्रारम्भिक 10 वर्षो के लिए नियोक्ता के अंशदान शेयर का भुगतान केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है तथा इस प्रकार नियोक्ता को क.रा.बी. अधिनियम के तहत व्याप्त कारखाने और स्थापनाओं में कार्यरत स्थाई रूप से निःशक्त व्यक्तियों के संदर्भ में 10 वर्ष तक उनके अंशदान का भुगतान करने से छूट प्राप्त है।	
बीमित के आश्रित बच्चों को ईएसआई मेडिकल कॉलेज में प्रवेश हेतु नियमानुसार आरक्षण की सुविधा उपलब्ध है।			

"अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना दिनांक 01- 07 - 2018 से लागू"

नियोजक : अपने संस्थान का पंजीयन करने हेतु www.esic.in देखें

उप क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर के अन्तर्गत संचालित शाखा कार्यालय/ औषधालय सह शाखा कार्यालय

1. औषधालय सह शाखा कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन, टैगोर नगर, सेक्टर - 4, उदयपुर, फोन : 0294-2461746
2. शाखा कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन, पुर रोड़, प्रताप नगर, भीलवाड़ा, फोन : 01482-242005
3. शाखा कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, प्लाट न. 12, गणेश डेयरी के उपर, प्रताप सर्कल के पास, बांसवाड़ा, फोन : 02962-250384
4. शाखा कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, सुगन चन्द जी का नोहरा, विरेन्द्र सिंह राठौड़, भीलवाड़ा रोड़, गुलाबपुरा, फोन : 01483-224892
5. शाखा कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, गली न. 2, श्रीनाथ नगर, जे.के. सर्कल, कांकरोली, फोन : 02952-221211
6. औषधालय सह शाखा कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, इन्डस्ट्रीयल एरिया, चन्देरिया, चित्तौडगढ़, फोन : 01472-244356

बीमित व्यक्ति आई.पी. पोर्टल पर लॉगिन कर अपना विवरण, लाभ की पात्रता तथा अंशदान विवरण देख सकते हैं। www.esic.in